न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर

पीठासीन अधिकारी – श्री श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

न. मु. 10/2022

1 जाकिर पुत्र हमीदा पत्नी सुलेमान शाह जाति साईं निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

2 रमजान पुत्र हमीदा पत्नी सुलेमान शाह जाति साईं निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

वादीगण

बनाम

1 मदीना पुत्री हमीदा पत्नी सुलेमान शाह जाति साईं निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू हाल आबाद पत्नी श्री मोहम्मद ज्यान, हदीरों की पोल लाड़नू तहसील लाड़नू जिला नागौर

2 शबनम पुत्री पुत्र हमीदा पत्नी सुलेमान शाह जाति साईं निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू हाल निवासी पत्नी श्री असलम खान ग्राम बालिया तहसील डीडवाना जिला नागौर

3 इस्लाम पुत्र हमीदा पत्नी सुलेमान शाह जाति साईं निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

4 मोहम्मद इलियास पुत्र नजमा पुत्री सुलेमान जाति साईं निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

5 शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू

6 राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान तहसीलदार बीदासर तहसील कार्यालय बीदासर जिला चूरू (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक रेंकार्ड दुरूस्ति व चिर निशेधाज्ञा प्राप्ती का प्रत्येक प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955"

उपस्थित –

1 श्री मोहम्मद शाहिद वकील वास्ते वादीगण

2 श्री रघुवीर भांमू वास्ते प्रतिवादी सख्या 1 ता 4

3 पैरोकार राज.

निर्णय

दिनांक :–8–4–2022

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि यह कि रोही हरिनगर में खेंत खसरा नम्बर 1019 रकबा 2.5293 हैक्टेयर (10–00बीघा) वादीगण एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 की माता/नानी श्रीमती हमीदाबानो पत्नी सुलेमान जाति साई निवासीनी बीदासर के नाम

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

खरीद शुदा है वादीगण एवं प्रतिवादीगण की माता श्रीमती हमीदा बानो ने उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि खरीद करने के उपरान्त मुताबिक विक्रय पत्र राजस्व रेकार्ड में अपना नाम बतौर खातेदारा काश्तकार दर्ज करवा लिया एवं काबिज होकर काश्त करने लगी और प्रतिवादी सख्या 5 पंजाब नेशनल बैंक शाखा चाड़वास के यहां रहन रख कर कृषि ऋण प्राप्त किया, वादीगण एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 की माता/नानी के स्वर्गवास दिनांक 14/05/2013 एवं पिता/नाना सुलेमान शाह वल्द उसमान का स्वर्गवास दिनांक 29/10/2017 के बाद उपरोक्त विवादित कृषि भूमि खाता में विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किये गये। उपरोक्त वर्णित विवादित खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 1019 की खातेदारा श्रीमती हमीदाबानो के (सुलेमान पति फौत) तथा वादीगण एवं प्रतिवादी स. 1 ता 3 व प्रतिवादी सख्या 4 की माता नजमा कुल 4 भाई व 3 बहने उतराधिकारी वारिसान हुए जिनमें से प्रतिवादी सख्या 4 मोहम्मद इलियास की माता नजमा का स्वर्गवास हो जाने के कारण प्रतिवादी सख्या 4 नजमा का वारिस होने की हैशियत से खातेदार दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 के एक भाई सलीम हुआ, जो अविवाहित लाऔलाद फौत हो चुका है, वादीगण के पिता के स्वर्गवास से पूर्व ही सलीम का स्वर्गवास हो जाने के कारण एवं सलीम प्रायः अस्वस्थ रहने के कारण व अविवाहित एवं धार्मिक प्रवृति का व्यक्ति होने के कारण सलीम का उपरोक्त विवादित खसरा भूमि में कोई हक हिस्सा वादीगण के पिता ने अपने जीवनकाल से ही नहीं रखा था और ना ही सलीम उपरोक्त खसरा भूमि के किसी अशं या भाग पर काबिज काश्त रहा था उपरोक्त विवादित खसरा भूमि में सलीम का नाम गलत दर्ज चला आ रहा है जिसको हटवा कर सलीम की हिस्सा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी स. 1 ता 4 अपने नाम आनुपातिक दर्ज करवाने के अधिकारी है वादीगण ने उक्त खेत खसरा की खातेदारी में गलत और बिना काबिज काश्त के चल रहे सलीम के नाम को हटवा कर खातेदारी दुरूस्त करवाने का मर्तबा निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण ने कोई सुनवाई नहीं की तथा दिनांक 05.03.2022 को खातेदारी रेकार्ड दुरूस्त करवाने से साफ इन्कार हो गये और खेत हिस्सा पर जबरन कब्जा करने की कोशीश की। इस कारण वादीगण को वाद प्रस्तुत करने का हैतूक प्राप्त हुआ है वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 4 स्व. सलीम के प्रथम कानूनी वारिसान (उतराधिकारी) है जिनका खातेदार सलीम के मृत्यू के बाद एवं मौजूदगी से कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस कारण वादीगण को वादाधार प्राप्त है दिनांक 05–03–2022 को प्रतिवादीगण द्वारा खातेदारी रेकार्ड दुरूस्त

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

करवाने से साफ इन्कार हो जाने एवं प्रतिवादीगण अकेले जबरन कब्जा करने की कुचेश्टा में है जिनको न्यायालय की सहायता से तुरन्त वर्जित करवाया जाना आवश्यक है इस कारण वाद अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का हो गया है ऐसी स्थिति में वादीगण के पास इतना माकुल समय नहीं है कि दो माह का पूर्व नोटिस प्रेषित कर सके। यदि वादीगण को जबरन बैदखल कर दिया गया तो वादीगण को अपूर्तीय क्षति होगी और वाद प्रस्तुत करने का मकशद ही समाप्त हो जावेगा ऐसी स्थिति में धारा 80(2) जाब्ता दिवानी के नोटिस से छूट जुदा गाना दी जाकर दावा प्रस्तुत किया जा रहा है विवादित भूमि रोही हरिनगर में स्थित होने के कारण आप श्रीमानजी के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में है आदि आदि प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि वादगत खेत खसरा नम्बर 1019 रकबा 2.5293 हैक्टेयर (10–00बीघा) वाके रोही हरिनगर की खातेदारी में खातेदार सलीम पुत्र हमीदाबानो पत्नी सुलेमान का खातेदारी से नाम हटाया जाकर हिस्सा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 4 के नाम आनुपातिक किये जाने की घोषणा फरमाई जावे तथा इस बाबत आदेश प्रतिवादी सख्या 6 तहसीलदार को फरमाया जावे आदि अनुतोष चाहा।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण तो तलब किया गया। प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 की और से श्री रघुवीर भांमू एडवोकेट ने वकालतनामा के हमराह राजीनामा प्रस्तुत किया। वादी ने प्रतिवादी स. 5 शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा चाड़वास से प्राप्त अदेयता प्रमाण पत्र व रहनमुक्त जमाबन्दी प्रस्तुत की। प्रकरण में प्रतिवादी स. 6 पैरोकार राज ने जवाब हित निहित नहीं होना अंकित किया। चुंकि किसी भी प्रतिवादी द्वारा वाद के तथ्यों से इन्कारी नहीं की गई है इसलिए तनकीयात बरामद करने की आवश्यकता नहीं हुई। साक्ष्य वादी में वादी रमजान के बयान करवाये व बतौर साक्ष्य वादगत खेत की जमाबन्दी प्रदर्श –1, नक्शा एक्स–2, छाया प्रति मृत्यू प्रमाण पत्र सलीम प्रदर्श –3, रहन मुक्त जमाबन्दी प्रदर्श– 4 प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये। सम्पूर्ण रेकार्ड एवं पत्रावली व साक्ष्य का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय बिन्दू है की वादगत खेत का खातेदार सलीम की लाऔलाद मृत्यू हो चुकी है इस वादीगण एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 4 उसके प्रथम श्रैणी के वारिस होने के कारण उपरोक्त सलीम की खातेदारी के अपने नाम की घोषणा करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में शपथ पूर्वक बयान भी किये है ऐसे में वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं वाद को भी नहीं मानने का कोई कारण पत्रावली में नहीं है। लिहाजा दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है जिसको डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

आदेश

लिहाजा उपरोक्त वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 1019 रकबा 2.5293 हैक्टेयर वाके रोही हरिनगर से मृतक खातेदार सलीम का नाम हटाया जाये। उक्त खातेदार के हिस्सा पांती की भूमि के राजस्व रेकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 प्रत्येक के ब. हि. बराबर दर्ज किया जावें तथा प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 के विरूद्ध चिर निषेधाज्ञा का आदेश दिया जाता है कि वादीगण के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बीदासर को डिक्री की पालना की तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनाक8 –4–2022 को सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

श्योराम वर्मा

उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू

उपखण्ड अधिकारी बीदासर

Scanned by CamScanner